श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

कमांक 1/11/अन्वें./पांच/2015/22348, इन्दौर, दिनांक 28/7/2023

संशोधन अधिसूचना

इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना कमांक 10368–618 दिनांक 31.03.2023 द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन दरों की अधिसूचना अनुसचियों सहित जारी की गई है।

अधिसूचना के संलग्न **"अनुसूची–स"** (पृ.क.15), **"अनुसूची–क"** (पृ.क.16) एवं **'अनुसूची–द"** (पृ.क.19) में अंकित दिनांक त्रुटिपूर्ण होने के फलस्वरूप निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

(1) अनुसूची–स (पृ.क.15) –

अनुसूची–स के कॉलम 9 से 15 के उपर अंकित "दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक" के स्थान पर **"दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक"** पढा जावे।

(2) अनुसूची–क (पृ.क.16) –

अनुसूची–क के कॉलम 1 से 7 के उपर अंकित "दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2022 तक" के स्थान पर **"दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक"** तथा कॉलम 9 से 15 के उपर अंकित "दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक" के स्थान पर **"दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक"** पढा जावे।

(3) अनुसूची–द (पृ.क.19) –

अनुसूची–द के कॉलम 9 से 15 के उपर अंकित "दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक" के स्थान पर **"दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक"** पढा जावे।

उक्तानुसार पूर्व में जारी अनुसूचियों में प्रदर्शित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की मासिक/दैनिक दरें एवं शर्ते यथावत रहेगी।

उक्तानुसार अनुसूची–स, अनुसूची–क तथा अनुसूची–द की संशोधित प्रतियां संलग्न है।

उप श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

कमांक 1/11/अन्वें./पांच/2015/22349-598, इन्दौर, दिनांक 28/7/2023

प्रति,

1– समस्त संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– आई.टी.शाखा, मुख्यालय, इन्दौर की ओर पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

उप श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अनुसूची –स (संशोधित)

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तन शील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तन शील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउन्डअप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक								दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15
							लिपिकिय वर्ग							
6500.00	324.42	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00	अकुशल	6500.00	324.42	3150	121.15	9650	371.15	371
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	श्रेणी एक	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507
							कुशल श्रेणी							
9685.00	372.50	3125.00	120.19	12810.00	492.69	493.00	श्रेणी एक	9685.00	372.50	3450	132.69	13135	505.19	505
9378.00	360.69	3125.00	120.19	12503.00	480.88	481.00	श्रेणी दो	9378.00	360.69	3450	132.69	12828	493.38	493
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	श्रेणी तीन	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
							अर्द्धकुशल श्रमिक							
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	श्रेणी एक	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404

स्पष्टीकरण–

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरों शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001–100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12 (1–ए)

उप श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अनुसूची – द (संशोधित)

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की दरें		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप मर दैनिक दरे	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक								दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक						
1	2	3	4	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5350.00	178.33	2034.00	67.80	7384.00	246.13	246.00	अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	2304	76.80	7654	255.13	255

स्पष्टीकरण– परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :–

(1) न्यूनतम वेतन की दरे तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मुल्य सूचकांक 768 (1986–87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ो के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 06 रूपये (छः रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।

(2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

(4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रर्वतन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकुल पभाव नही डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक है , तो वह किसी भी द ाा में कम नही की जावेगी।(न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा, 1948 की धारा 12 (1–ए))

(5) इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरे महिला एवं पुरूषों के लिए एक समान नियत है।

(6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतमत मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

उप श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर